ईमेल
संख्या–1379(1)/एक–9–2023–2(एफ)/2018

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग–09 **लखनऊः दिनांक 31 अक्टूबर, 2023**

विषयः मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत कोरोना महामारी की अवधि में प्राप्त कालबाधित दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना राज्य की एक सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजना है। उक्त योजना के कियान्वयन हेतु निर्देश राजस्व अनुभाग–09 के शासनादेश दिनांक 28.02.2020 द्वारा निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश में योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अधिकतम अवधि 75 दिन (45 दिन संबंधित तहसील कार्यालय में एवं 01 माह अपरिहार्य परिस्थिति में जिलाधिकारी के स्तर पर) निर्धारित की गयी है। दिनांक 14.03.2023 को निर्गत शासनादेश द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अधिकतम अवधि 75 दिन से बढ़ाकर 06 माह (180 दिन) (03 माह संबंधित तहसील कार्यालय में एवं 03 माह अपरिहार्य परिस्थिति में जिलाधिकारी के स्तर पर) निर्धारित की गयी है।

2. कतिपय जिलाधिकारियों द्वारा शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि कोरोना काल की अवधि (दिनांक 15.03.2020 से 28.02.2022) में योजना के अन्तर्गत कई दावे विलम्ब से प्रस्तुत किये गये, जिन्हें सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा विलम्ब के आधार पर निरस्त कर दिया गया। जिलाधिकारीगण के आदेशों से क्षुब्ध होकर आवेदको द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकायें योजित की गयीं, जिनमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिकाओं में पारित अपने विभिन्न आदेशों के माध्यम से मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित स्यूमोटो रिट याचिका संख्या–03/2020 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2022 एवं मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका संख्या–564/2020 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2022 के कम में संबंधित जिलाधिकारीगण के याचीगण के दावों को निरस्त किये जाने विषयक आदेशों को निरस्त करते हुये मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत विलम्ब से प्रस्तुत याचीगण के दावों को समयसीमा के अन्तर्गत मानते हुये, लिमिटेशन एक्ट के अन्तर्गत छूट प्रदान करते हुये दावों पर पुनर्विचार किये जाने/प्रत्यावेदन निस्तारित किये जाने के निर्देश संबंधित जिलाधिकारीगण को दिये गये हैं।

3. मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः अपने आदेश दिनांक 10.01.2022 एवं 11.01.2022 द्वारा दिनांक 15.03.2020 से दिनांक 28.02.2022 तक की अवधि को लिमिटेशन पीरियड की गणना से बाहर किया गया है।

4. उपर्युक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 15.03.2020 से दिनांक 28.02.2022 तक की अवधि के मध्य मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत प्राप्त कालबाधित दावों, जिनको दिनांक 28.02.2022 से 180 दिन (06 माह) की अवधि अर्थात् दिनांक 27.08.2022 तक तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया हो, को शासनादेश दिनांक 28.02.2020 में वर्णित अन्य पात्रता की शर्तों की पूर्ति होने की दशा में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया जाये।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उदाहरणों से स्थिति स्पष्ट की जाती है:

उदाहरण:1 यदि किसी कृषक की मृत्यु/दिव्यांगता दिनांक 14.03.2020 को हुई और तत्समय प्रचलित शासनादेश के अन्तर्गत वह कोरोना के कारण 75 दिन की अवधि में अपना दावा प्रस्तुत नहीं कर सका और उसके द्वारा दावा निर्धारित अवधि 75 दिन अर्थात दिनांक 28.05.2020 के पश्चात किन्तु दिनांक 28.02.2022 से 180 दिन अर्थात दिनांक 27.08.2022 तक प्रस्तुत कर दिया गया हो तो उक्त दावे को समयान्तर्गत मानते हुए योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया जाये।

उदाहरण:2 यदि किसी कृषक की मृत्यु/दिव्यांगता दिनांक 16.03.2020 को हुई और शासनादेश के अन्तर्गत वह अपना दावा निर्धारित अवधि 75 दिन अर्थात दिनांक 30.05.2020 के भीतर प्रस्तुत नहीं कर सका और यदि उसके द्वारा दावा प्रस्तुत करने की अधिकतम अवधि दिनांक 30.05.2020 के पश्चात किन्तु दिनांक 27.08.2022 तक प्रस्तुत कर दिया गया हो तो उक्त दावे को समयान्तर्गत मानते हुए योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया जाये।

अर्थात दिनांक 15.03.2020 से 75 दिन पूर्व अर्थात दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 28.02.2022 तक के मध्य हुई कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता के कारण योजना के अन्तर्गत प्राप्त कालातीत दावे, जो दिनांक 27.08.2022 तक प्राप्त हुए हों और केवल विलम्ब के आधार पर निरस्त किये गये हों अथवा वर्तमान में विचाराधीन हों, उक्त सभी दावों को समयान्तर्गत मानते हुए योजना के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया जाये।

5. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें। शासनादेश संख्या–1/2020/मु0स0–11/एक–9–2020–2 (एफ) /2018, दिनांक 28.02.2020 को उक्तवत संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक 28.02.2020 के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

<u>**संलग्नक:यथोक्त।**</u>

भवदीय,

Signed by सुधीर गर्ग
(सुधीर Date: 30-10-2023 18:00:50
अपर Reason: Approved

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(घनश्याम चतुर्वेदी)
अनु सचिव।